

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर

क्रमांक-स्था/2022/176

दिनांक :- 13-9-22

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध ओर निवारण) अधिनियम, 2013 की पालना में इस कार्यालय के आदेश सं. स्था/2021/211 दिनांक 21.09.2021 द्वारा जालोर मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में कार्यरत महिला राज्य कर्मचारियों के कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य न्यायिक अधिकारी/राज्य कर्मचारी होने तथा उनके स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त आदेश द्वारा गठित समिति के स्थान पर निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है :-

- 1- श्रीमती चारण आशा, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, जालोर अध्यक्ष
 - 2- सुश्री हर्षिता राठौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर सदस्य
 - 3- डॉ० सुनिता मीणा, चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय, जालोर सदस्य
 - 4- मौर कंवर, परिवीक्षा अधिकारी, किशोर सम्प्रेषण गृह, जालोर सदस्य
- शिकायत प्राप्त होने पर कमेटी उक्त अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जालोर, 13/9/22

क्रमांक-स्था/2022/4757-4769

दिनांक :- 13-9-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जालोर
- 2- विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम प्रकरण, जालोर
- 3- विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/जन जाति (अ.नि.) प्रकरण, जालोर
- 4- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर
- 5- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर
6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर
7. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2, जालोर
8. श्रीमती चारण आशा, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, जालोर
9. सुश्री हर्षिता राठौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर
10. डॉ० सुनिता मीणा, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, जालोर
11. मौर कंवर, परिवीक्षा अधिकारी, किशोर सम्प्रेषण गृह, जालोर
- ✓ 12. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को न्यायालय की वेब साईट पर उपलोड करने हेतु।
13. समस्त न्यायिक कर्मचारी, जालोर मुख्यालय/नोटिस बोर्ड

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जालोर, 13/9/22